

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24 / 10 / 2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1 राज्य शासन द्वारा श्री भगवत सिंह गौड़ (वरीयता क्रमांक 434) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, वन क्षेत्रपाल क पद पर पदोन्नत करते हुए औबेदुल्लागंज सामान्य वनमण्डल के सुल्तानपुर सामान्य परिक्षेत्र में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री भगवत सिंह गौड़ को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.09.09 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण महान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कारि०)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009

पृ०क्र. एफ 3-49/2008/10-1.
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक सानरीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल को और उनके पत्र क्र 5304 दिनांक 24.09.09 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल, म०प्र०
- 7 वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज, म०प्र० भोपाल।
- 8 श्री भगवत सिंह गौड़ द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

9/24/19

बि. सी. मुंजा

9/5
27/10/09

6013
27-10-09

अ. शासन - II

26/10/09

य. ग. 0121.

अ.प. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-III)
मध्यप्रदेश, भोपाल

काठमाडौं प्रधान मुख्य वन सहायक
सं. ५०, अचाल

पु. क्रमांक / स. क्रमांक / स्व. क्रमांक / सं. क्रमांक ५१५१ अचाल, १२ ३३ १० ५१
प्रति निर्देश :-

मुख्य वन सहायक अचाल वन अचाल को
आ. नि. निर्देश एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध

नि. अचाल प्रधान मुख्य वन सहायक
सं. ५०, अचाल
२३/१०

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1: विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.07.08 के संदर्भ तारीख के आधार पर दिनांक 15.06.09 को आयोजित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में उपयुक्त पाये जाने पर निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभार से पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थिति	प्रस्तावित पदस्थिति
1.	श्री गुलाब सिंह बामने ST 387	इन्दौर वृत्त 1/2/59	प0अ0 आवलिया सा0 खण्डवा सा0व0म0
2.	श्री नरेश कुमार नामदेव	शहडोल वृत्त	प0अ0 गोदावल सा0 उ0शहडोल सा0व0म0
3.	श्री दामोदर प्रसाद जाट 413	इन्दौर वृत्त	प0अ0 शाजापुर सा0 शाजापुर सा0व0म0
4.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	इन्दौर वृत्त	प0अ0 उमराली सा0 झाबुआ सा0व0म0
5.	श्री राजभारती गोस्वामी	उज्जैन वृत्त	प0अ0 पीपरी उत्पा0 देवास उत्पा0 व0म0
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार पाल 634	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)

2/ उपरोक्त उप वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30/7/08 अथवा 26/2/09 जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता का) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

F:\Vijay\Order\Order.doc

1/4/09

5/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कारिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2009

पृ०क. एफ 3-49/2008/10-1,

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3979 दिनांक 22.07.09 के संदर्भ में।
- 5 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 6 संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7 संबंधित वनमण्डलाधिकारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

जो पभीप / वन संरक्षक

av

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-2
भोपाल

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

4/8/09

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म० प्र०, भोपाल

पृ० क्रमांक/प्रशा. D / एच. व. शे. कला 4325

भोपाल, दि 6.8.09

प्रतिलिपि - 1. मुख्य वन संरक्षक इंदौर / रबड़वा / आहोला / उज्जैन म.प्र.

2. संरक्षक नि. शा. वि. प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

कद लेख है, कि संबंधित वन संरक्षक को प्रति उन्हें धितार्थ

करने का कद करें।
F:\Vijay\Order\Order.doc

06-08-09

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. 2)
म० प्र०, भोपाल.

7

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

853
852

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 4/8/2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1: राज्य शासन द्वारा श्री सुधाकर शुक्ला (वरीयता क्रमांक 621) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए प0अ0 होशंगाबाद सा0 होशंगाबाद सा0व0म0 में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री सुधाकर शुक्ला को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0कातिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

Al ccf Admin II

प्र. सु. क. सं.

10-8-09

4685

10-8-09

गोपनीय / व. से. व. स. / से. स्या. I

F:\Vijay\Order\Order.doc



उपर प्रधान मुख्य वन सहायक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3927 दिनांक 17.07.09 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, म०प्र०
- 7 वनमण्डलाधिकारी होशंगाबाद, म०प्र०
- 8 श्री सुधाकर शुक्ला, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 04 अगस्त, 2009

क्रमांक एफ 3-51/2006/10-1: माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों की वरीयता पुनः निर्धारित की गई है :-

I. आदेश क्रमांक/क्षेत्रीय/स्था.-1/ 87 दिनांक 31.01.2009 द्वारा :-

- 1) श्री जे0एस0 परिहार,
- 2) श्री एम0एल0सोनी,
- 3) श्री समानक खान,
- 4) श्री अशोक कुमार भदौरिया,
- 5) श्री ओ0पी0श्रीवास्तव,
- 6) श्री प्रकाश मिश्रा,
- 7) श्री व्ही0के0जैन,
- 8) श्री वाई0एस0बघेल
- 9) श्री व्ही0के0सक्सेना

II. आदेश क्रमांक/क्षेत्रीय/स्था.-1/ 241 दिनांक 17.03.2009 द्वारा :-

श्री अमर सिंह ठाकुर

2/ वर्ष 2006 में दिनांक 23.12.06 को उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हुई थी और योग्य पाए गए अधिकारियों के पदोन्नति आदेश दिनांक 06.01.07 को जारी हुए थे। पुनः वरिष्ठता निर्धारण की स्थिति में इस आदेश दिनांक 06.01.07 में उप वनक्षेत्रपालों से कनिष्ठ पदोन्नत हो चुके हैं। अतः दिनांक 23.12.06 की संदर्भ तारीख के आधार पर दिनांक 15.06.09 को रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति के योग्य पाया गया :-

- 1) श्री एम0एल0सोनी,
- 2) श्री अशोक कुमार भदौरिया
- 3) श्री ओ0पी0श्रीवास्तव,
- 4) श्री व्ही0के0जैन,
- 5) श्री वाई0एस0बघेल
- 6) श्री व्ही0के0सक्सेना
- 7) श्री अमर सिंह ठाकुर

3/ उक्त में से प्रथम चार अर्थात् श्री एम0एल0सोनी 30.07.08, श्री अशोक कुमार भदौरिया 20.02.08, श्री ओ0पी0श्रीवास्तव 30.07.08 एवं श्री व्ही0के0जैन 30.07.08, को पदोन्नत हो चुके हैं। अतः इन्हें इनसे कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 06.01.07 से पदोन्नति प्रदान की जाती है किन्तु 06.01.07 से इन्हें वास्तविक पदोन्नति की तिथि तक की अवधि का कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4/ चयनित शेष निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान 2 5500-175-9000 (Pre-Revised) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थिति	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थिति
1.	श्री वाई०एस०बघेल	जबलपुर वृत्त	प०अ० अजयगढ़ सा० उ० पन्ना सा०व०म०
2.	श्री व्ही०के०सक्सेना	सिवनी वृत्त	प०अ० वनखेड़ी सा० होशंगाबाद सा०व०म०
3.	श्री अमर सिंह ठाकुर	जबलपुर वृत्त	प०अ० मोहेन्द्रा सा० द० पन्ना सा०व०म०

5/ उक्त पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 06.01.07 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धांत के आधार पर पूर्व अवधि के वेतन-भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

6/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

7/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

8/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत कराएँ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कार्तिकेय)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 04 अगस्त, 2009

पृ०क. एफ 3-51/2006/10-1,

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3927 दिनांक 17.07.09 के संदर्भ में।
- 5 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 6 संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7 संबंधित वनमण्डलाधिकारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

डा. विजय / अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

फ़ाइल नंबर एवं दिनांक

F:\Vijay\Order\Order.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र०, भोपाल

क्रमांक/प्रशा.म/स्वा/व.शे.क.प्र. 4326
प्रतिलिपि - (1) म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल
(3) विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार), भोपाल
(4) संबंधित मुख्य वन संरक्षक, भोपाल
(5) संबंधित वनमण्डलाधिकारी, भोपाल
(6) संबंधित कर्मचारी, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01/08/2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1: राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रुपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभार से पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	उप वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थिति	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थिति
1.	श्री जे०एन०वर्मा	खण्डवा वृत्त	प०अ० खकनार, सा० बुरहानपुर सा०व०म०
2.	श्री निर्मल दास लोमास	जबलपुर वृत्त 5/6	प०अ०बडवारा उत्पा० कटनी सा०व०म० ① 556/07
3.	श्री रघुबीर प्रसाद गायकवाड़	जबलपुर वृत्त 25/10/49	प०अ० मगरधा उत्पा० हरदा उत्पादन व०म० 559
4.	श्री जगतलाल चौधरी	जबलपुर वृत्त 29/5	प०अ०पन्ना सा० उ०पन्ना सा०व०म० 560
5.	श्री भागचंद झारिया	जबलपुर वृत्त 11/7/5	प०अ०बोरपानी उत्पा० हरदा उत्पा० व०म०
6.	श्री जुगल किशोर झारिया	जबलपुर वृत्त 20/12	प०अ०शाहपुर उत्पा० बैतूल उत्पा०व०म०
7.	श्री गुलाबचंद चौधरी	जबलपुर वृत्त 2/3/52	काफ्लगार अधिकारी, बरगवाँ डिपो पूर्व सीधी सा०व०म०
8.	श्री रामदयाल सोनकर	रीवा वृत्त 11/1/62	प०अ०अतरैला सा० रीवा सा०व०म० ②
9.	श्री घूडनलाल दरवाडे	बालाघाट वृत्त 20/7/57	प०अ० उत्तर उकवा सा० उ०बालाघाट सा०व०म०
10.	श्री बाबूलाल समर	शिवपुरी वृत्त 21/1/57	प०अ० मुरैना, सा० मुरैना, सा०व०म० ③
11.	श्री विजय सिंह नरवरिया	शिवपुरी वृत्त 5/97	प०अ०आरोन सा० गुना सा०व०म० 2/8/61 ④
12.	श्री कन्हैयालाल परमार	उज्जैन वृत्त 6/23	प०अ०फतेहगढ़ सा० गुना सा०व०म० 11/5/57 ⑤
13.	श्री मेरूलाल बगाना	उज्जैन वृत्त 6/24	प०अ०रामपुरा सा० नीमच सा०व०म० 1/5/57
14.	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	उज्जैन वृत्त 6/25	प०अ०बरला सा० संधवा सा०व०म० 1/18/55 ⑥
15.	श्री पीरूलाल परिहार	खण्डवा वृत्त 6/27	प०अ०प० कालीभीत उत्पा० खण्डवा उत्पा० व०म० 3/7/58 ⑦
16.	श्री अशोक कुमार खेतडिया	उज्जैन वृत्त 6/28	प०अ० टेमागाँव सा० हरदा सा०व०म० 3/8/59 ⑧
17.	श्री मधुसूदन नगपुरे	बालाघाट वृत्त 6/36	प०अ० डोगरगाँव सा० नरसिंहपुर सा०व०म० 27/6/54 ⑨
18.	श्री कालूराम मालवीया	भोपाल वृत्त 6/64	राज्यस्तरीय उड़नदस्ता भोपाल वृत्त 1/6/52
19.	श्री कालूराम मनाग्रे	खण्डवा वृत्त 6/98	प०अ०मण्डलेश्वर सा० बडवाहा सा०व०म० 26/5/54
20.	श्री काशीराम वर्मा	खण्डवा वृत्त 6/99	प०अ०राजपुर सा० बडवानी सा०व०म० 1/1/50

F:\Vijay\Order\Order.doc



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-०१)
मध्यप्रदेश, भोपाल

2/ उपरोक्त उप वनक्षेत्रपालों को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30/7/08 अथवा 26/2/09 जैसी भी स्थिति हो, से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कालिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 01/08/2009

पृ०क. एफ 3-49/2008/10-1,

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3979 दिनांक 22.07.09 के संदर्भ में।
- 5 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 6 संबंधित मुख्य वन संरक्षक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7 संबंधित वनमण्डलाधिकारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

4655
11/8/09

A.D.M II

11/8/09

P.C.C.B

11/8/09

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

720/07

भोपाल, दिनांक 1 / 8 / 2009

क्रमांक एफ 3-49 / 2008 / 10-1, राज्य शासन द्वारा श्री विष्णु कुमार शर्मा (वरीयता क्रमांक 720) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए प0अ0 करेरा सामान्य शिवपुरी सा0व0म0 में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री विष्णु कुमार शर्मा को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर. इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-संन1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0कातिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

3/7



पृ०क. एफ 3-49/2008/10-1,

भोपाल, दिनांक/ / 8/2009

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 3927 दिनांक 17.07.09 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, म०प्र०
- 7 वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी, म०प्र०
- 8 श्री विष्णु कुमार शर्मा, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

11/8/09

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री रेवाराम वर्मा (वरीयता क्रमांक 324) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए वन परिक्षेत्र खरगौन (सामान्य) में पदस्थ किया जाता है।

2- श्री रेवाराम वर्मा को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कातिया) 18/6/09
अवर सचिव

18/6/09 मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ०क. एफ 3-49/2008/10-1,

भोपाल, दिनांक 18/06/2009

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क. 688 दिनांक 24.09.08 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा, म०प्र०
- 7 वनमण्डलाधिकारी खरगौन, म०प्र०
- 8 श्री रेवाराम वर्मा, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ०क./संशा०/क.क. (प्रशा.-II)
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक

मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ
संबंधित कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रस्ताव संबंधित वन क्षेत्रफल
को संदर्भ देते उक्त कार्यवाही का कष्ट करें।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री भागवत प्रसाद तिवारी (वरीयता क्रमांक 197) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए वन परिक्षेत्र अमानगंज (सामान्य) में पदस्थ किया जाता है।

2- श्री भागवत प्रसाद तिवारी को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कातिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

18/6/09

पृ०क्र. एफ 3-49/2008/10-1,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक/४/ 06/2009

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क. 851 दिनांक 29.11.08 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर, म०प्र०
- 7 वनमण्डलाधिकारी पन्ना, म०प्र०
- 8 ✓ श्री भगवत प्रसाद तिवारी, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
०४/०६/०९

कार्यालय
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ०क्र./शक्रा०/प्रशा-II/कक्ष/४
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक

मुख्य वन संरक्षक छतरपुर म. प्र. की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया
अग्रेषित वन क्षेत्रपाल को आदेश को जति उपलब्ध का
को कहें।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28 / 02 / 2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री राजाराम वर्मा (वरीयता क्रमांक 394) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इन्दौर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

2- श्री राजाराम वर्मा की वरिष्ठता उनसे कनिष्ठ श्री लाल सिंह भूरिया (वरीयता क्र. 395) के ऊपर ऊपर रहेगा।

3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(के०के०कातिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ०क्र. एफ 3-49/2008/10-1,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28/02/2009

- 1 विशेष सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र. 68 दिनांक 30-1-09 के संदर्भ में।
- 6 संचालक ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इन्दौर।
- 7 श्री राजाराम वर्मा, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 8 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल

कार्यालय

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-अराज.)
भोपाल (म.प्र.)

पृ०क्र० भोपालीय / 1244

भोपाल दिनांक 28.02.09

प्रतिलिपि: (1) सदरम (वर्गवर्ग एवं वन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा नगर भोपाल
(2) संचालक ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इन्दौर
मंज की आटे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
(3) मुख्य वन (विभागीय प्रशासनिक) मंज की आटे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(4) वन मंत्रालय दिल्ली (लो) राजाजी मंज की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी

3/2/09

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 26/02/2009

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1; राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल/ परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-

अ.क्र.	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	यदुवंश प्रसाद मिश्रा - 5546	रीवा वृत्त	प.अ.बैढन सा. पूर्व सीधी सा.व.मं.
2.	आर.पी.श्रीवास्तव - 5549	शिवपुरी वृत्त	प.अ.शिवपुरी सा. शिवपुरी सा.व.मं. 15-2-49
3.	श्याम बहादुर सिंह - 5554	सिवनी वृत्त	विशेष कर्तव्य, सिवनी वृत्त
4.	पूरन सिंह चौहान - 5565	बैतूल वृत्त (1/1)	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त 20-12-49
5.	जे.एस.प्रजापति - 5567	भोपाल वृत्त	प.अ.लाडकुई सा., सीहोर सा.व.मं.
6.	जे.एस.सौलकी - 5569	भोपाल वृत्त	प.अ.पूर्व सिलवानी सा., रामसेन सा.व.मं.
7.	श्रीमति रेखा काले, - 5572	इन्दौर वृत्त	विशेष कर्तव्य, इन्दौर वृत्त
8.	खुर्शीद अहमद, - 5574	इन्दौर वृत्त	प.अ.मक्सूदनगढ़ सा., गुना सा.व.मं.
9.	सुभाष साकल्ले - 5575	इन्दौर वृत्त	विशेष कर्तव्य, देवास सा.व.मं.
10.	भेरूसिंह चौहान, - 5606	इन्दौर वृत्त	विशेष कर्तव्य, खण्डवा वृत्त
11.	लछिन्द्र बीशी - 5577	बैतूल वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त 5T 21-9-49
12.	रतिराम परते - 55	भोपाल वृत्त 5781	प.अ.पिपरिया सा., होशंगाबाद सा.व.मं.
13.	करन सिंह नागवंशी 581	भोपाल वृत्त 2	व.वि.अ.भोपाल, अनु.विस्तार भोपाल
14.	किसन लाल इक्के 582	भोपाल वृत्त (3)	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर वृत्त
15.	सुरज सिंह मोंगिया 583	भोपाल वृत्त (3)	वन वि.अ.खुरई, अनु.वि.सागर
16.	सूरज लाल बिसेन, 588	छिंदवाडा वृत्त 5	विशेष कर्तव्य, सिवनी वृत्त

26/2/09

26/2/09

अ.क्र.	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
17.	भरत लाल पन्डे 590	बालाघाट वृत्त	व.क्षे.महाविद्यालय, बालाघाट
18.	आई.बी.सिंह, 591 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.गौरझामर सा., द.सागर सा.व.मं.
19.	देवराज मिश्रा, 593 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.प.करंजिया सा., डिण्डोरी सा.व.मं.
20.	व्ही.के.मानिकपुरी, 594 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.केवलारी उत्पा., द.सिवनी उत्पा.व.मं.
21.	जितेन्द्र नाथ तिवारी, 595 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.सिंग्रामपुर सा., दमोह सा.व.मं.
22.	हीरामणि शर्मा, 596 ✓	जबलपुर वृत्त	वनविद्यालय लखनादौन, सिवनी वृत्त
23.	कोमल सिंह गौड 600 ✓	सागर वृत्त	विशेष कर्तव्य, दमोह सा.व.मं.
24.	धीर सिंह गौड 601 ✓	ग्वालियर वृत्त	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर वृत्त
25.	सोमनाथ शर्मा 603 ✓	खण्डवा वृत्त	प.अ.बलवाडा सा., बडवाहा सा.व.मं.
26.	राजू गौड 606 ✓	ग्वालियर वृत्त	प.अ.बडीदा सा., श्योपुर सा.व.मं.
27.	आर.पी.खरे, 607 ✓	छिंदवाडा वृत्त	प.अ.बिछुआ उत्पा., प.छिंदवाडा उत्पा.व.मं.
28.	गनपतपुरी गोस्वामी, 608 ✓	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त
29.	आर.पी.जैन, 609 ✓	छिंदवाडा वृत्त	सहा.अनुदेशक, वन विद्यालय पचमढी
30.	आर.बी.शुक्ला 611 ✓	जबलपुर वृत्त	प.अ.तेंदूखेडा सा., दमोह सा.व.मं.
31.	जे.आर.जोशी 612 ✓	न.घा.वि.प्रा.	न.घा.वि.प्रा., (प्रतिनियुक्ति)
32.	अविनाश सिंह धालीवाल, 613 ✓	उज्जैन वृत्त	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर वृत्त
33.	नवसे राम कवरेती, 614 ✓	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त
34.	समरजीत चंदेल 615 ✓	सिवनी वृत्त	प.अ.घंसौर सा., उ.सिवनी सा.व.मं.
35.	राजेन्द्र सिंह सोलंकी 616 ✓	खण्डवा वृत्त	प.अ.भीकनगाँव सा., खरगोन सा.व.मं.
36.	हरिमान सिंह पोर्ते 617 ✓	शहडोल वृत्त	विशेष कर्तव्य, शहडोल वृत्त
37.	नन्दराम कुमरे 619 ✓	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, बैतूल वृत्त
38.	घनश्याम सिंह जादोन 620 ✓	शिवपुरी वृत्त	व.वि.अ.ग्वालियर, अनु.विस्तार ग्वालियर
39.	हरिश चन्द्र भगत 625 ✓	छिंदवाडा वृत्त	विशेष कर्तव्य, छिंदवाडा वृत्त
40.	जय नारायण तिवारी 627 ✓	जबलपुर वृत्त	विशेष कर्तव्य, सागर वृत्त
41.	देवेन्द्र कुमार द्विवेदी 628 ✓	रीवा वृत्त	विशेष कर्तव्य, रीवा वृत्त

मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा

नाते) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कै.के. काबिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

26/2

भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2009

पृ0क एफ 3-49/2008/10-1

पतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव मा0 राज्य मंत्रीजी, (स्वतंत्र प्रभार) वन विभाग म0प्र0 शासन।
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म. प्र. भोपाल, क. स्था/गोप/प्रशा-2/1036 दि0 19-2-09 के संदर्भ में।
6. सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
9. संबंधित वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
10. संबंधित वन मण्डलाधिकारी, मध्य प्रदेश।
11. संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रलय वल्लभ भवन, भोपाल।
12. संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) म0 प्र0 भोपाल।
13. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

26/2

